क्रम-संख्या—76

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी.-890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 28 मार्च, 2001

चैत्र 7, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 761/सत्रह-वि-1—1 (क)-27-2000

लखनऊ, 28 मार्च, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 27 मार्च, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (कक) में शब्द "पूर्व में रिकार्ड किये गये कैसेट को, चाहे टेलीविजन सेट या वीडियो स्कोप के स्क्रीन पर या अन्यथा वीडियो कैसेट प्लेयर द्वारा" के स्थान पर शब्द "पूर्व में रिकार्ड किये गये कैसेट या किसी अन्य यन्त्र को, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, टेलीविजन सेट या वीडियो स्कोप के स्क्रीन पर या अन्यथा वीडियो कैसेट प्लेयर या किसी अन्य उपकरण द्वारा चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (छ) में शब्द "वीडियो कैसेट में" के स्थान पर शब्द "वीडियो कैसेट या किसी अन्य यन्त्र में, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

चल-चित्र यंत्र और वीडियो द्वारा चलचित्रों के प्रदर्शन को विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप चलचित्रों के प्रदर्शन के लिए नई युक्तियां और उपकरण विकसित हुए हैं। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसी युक्तियों और उपकरणों को भी उक्त अधिनियम की परिधि में सम्मिलित करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी
प्रमुख सचिव।

No. 761 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-27-2000

Dated Lucknow, March 28, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chal-Chitra (Viniyaman Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 27, 2001.

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. ACT NO. 8 OF 2001)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2000.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 3 of 1956

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955,—

(*a*) in clause (*aa*) *for* the words "a pre-recorded cassette by means of a video cassette player", the words "a pre-recorded cassette or any other device, by whatever name called by means of a video cassette player or any other apparatus, by whatever name called" shall be *substituted*;

(*b*) in clause (*g*) *for* the words "video cassette", the words "video cassette or any other device by whatever name called" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 has been enacted to provide for regulating exhibitions of cinemas by means of cinematographs and video. With the development of science and technologies, new devices and apparatus have been developed for exhibiting cinemas. It has, therefore, been decided to amend the said Act to include such devices and apparatus also within the ambit of the said Act.

The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 2000 is introduced accordingly.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 297 सा० विधा०—(7437)—2001—850 (मेक०)।